केवल सरकारी प्रयोग हेतु

वार्षिक

सामान्य प्रशासन

रिपोर्ट

2009-2010

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला – 171002

विषय सूची

क्र.स.	विषय	पृष्ठ
1.	परिचय	1
2.	प्रशासन प्रभाग	2
3.	योजना प्रारूपण प्रभाग	3–4
4.	योजना कार्यान्वयन प्रभाग	5–6
5.	पिछडा क्षेत्र उप–योजना	7–8
6.	क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	9–10
7.	जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग	10–11
8.	परियोजना रूपांकन प्रभाग	11–13
9.	नाबार्ड	14–16
10.	बीस–सूत्रीय कार्यक्रम	17
11.	रेलवे	17–18
12.	मूल्यांकन प्रभाग	18
13.	कम्पयूटर प्रभाग	19
14.	सूचना का अधिकार – 2005	20–26

****

परिचयः

योजना विभाग का दायित्व योजना प्राथमिकताओं का निर्धारित करना, योजनाओं के सकल परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों/सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करना है । दूसरी गतिविधियों में परियोजनाओं का मूल्यांकन, योजना कार्यान्वयन की मानिटरिंग तथा विभिन्न कार्य योजनाओं/परियोजनाओं के अध्ययन इत्यादि सम्मिलित है ।

1. संगठनात्मक ढांचाः

योजना विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न स्तरों पर आधारित हैः-

1. मुख्यालय ।
2. जिला कार्यालय ।
3. राज्य योजना बोर्ड ।

1. मुख्यालयः-

मुख्यालय पर सलाहकार (योजना), हिमाचल प्रदेश, विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग नामतः योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्पयूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन और पिछड़ा क्षेत्रा उप-योजना कार्य कर रहे हैं । ये प्रभाग संयुक्त निदेशक, कार्यालयाध्यक्ष तथा उप-निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । सरकारी नियमावली के अनुसार विभाग के सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु निम्नलिखित ढांचा कार्य कर रहा है :-

1. माननीय मुख्य मंत्री ।
   (योजना मंत्री)
2. प्रधान सचिव, (योजना) ।
3. सलाहकार (योजना) ।

2. जिला कार्यालय :-

विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 10 गैर-जनजातीय जिलों में (दो जन-जातीय जिलों लाहौल-स्पिति तथा किन्नौर को छोड़कर) क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं । ये कार्यालय सम्बन्धित उपायुक्त के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं तथा इन कार्यालयों में एक जिला योजना अधिकारी, एक साख योजना अधिकारी, एक सहायक अनुसंधान अधिकारी, एक सांख्यिकीय सहायक, एक सहायक (शिमला, कांगडा तथा मण्डी के मामले में दो), एक आशुटंकक, एक लिपिक तथा एक चपड़ासी का स्टाफ प्रदान किया गया है ।

I. प्रशासन प्रभागः

योजना विभाग के मुख्यालय पर प्रशासन प्रभाग का कार्य विभागाध्यक्ष के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक की देख-रेख में किया जा रहा है । इस प्रभाग में निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :-

1.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	1
2.	अधीक्षक	1
3.	वरिष्ठ सहायक	4
4.	कनिष्ठ सहायक	3
5.	लिपिक	2
6.	सन्देशवाहक	1
7.	चौकीदार	1
8.	फ्राश	1
	कुल :-	**14**

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार पदों का भरना, पदोन्नति तथा स्थानातरण, अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिर्पोट, स्थाईकरण, भण्डार आदि तथा स्थापना एवं वित्त लेखा से सम्बन्धित रोजमर्रा के routine कार्य करता है । योजना विभाग के स्टाफ का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र. सं	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1	उपाध्यक्ष	1	-	1
2	उपाध्यक्ष (२०-पॉइंट प्रोग्राम)	1	-	1
2	सलाहकार (योजना)	1	1	-
3	संयुक्त निदेशक	1	1	-
4	उपनिदेशक	5	5	-
5	अनुसंधान अधिकारी	20	18	2
6	प्रोगाम योजना अधिकारी	1	1	-
7	साख योजना अधिकारी	10	10	-
8	अधीक्षक	1	1	-
9	वरिष्ठ सहायक	20	20	-
10	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	16	15	1
11	निजि सहायक	2	1	1
12	निजि सचिव	1	-	1
13	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	15	2

1.	2.	3.	4.	5.
14	सांख्यिकीय सहायक	20	15	5
15	गणक	6	6	-
16	कम्पयूटर औपरेटर	2	2	-
17	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	1	-
18	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	6	-
19	आशुटंकक	12	4	8
20	वाहन चालक	3	3	-
21	सन्देशवाहक	20	20	-
22	चौकीदार	1	1	-
23	डी. एम. ओ.	1	1	-
24	जमादार	1	1	-
25	सफाई कर्मचारी	1	1	-
26	फ्राश	1	1	-
	कुल	**172**	**150**	**22**

रिपोर्ट के वर्ष में प्रशासनिक प्रभाग द्वारा समस्त कार्य निर्धारित समय पर सम्पन्न किए गए ।

II. योजना प्रारूपण प्रभाग :

योजना प्रारूपण प्रभाग द्वारा वर्ष 2009-2010 के दौरान किए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

1. राज्य की वर्ष 2010-2011 का ड्रॉफट योजना प्रारूप तैयार करना :

वार्षिक योजना 2010-2011 का ड्रॉफट प्रारूप तैयार करने हेतु सम्बन्धित सभी विभागों /एजैन्सियों को दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके माध्यम से उन्हें अपने विभाग से सम्बन्धित विस्तृत वार्षिक योजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया ।

विभागीय प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने तथा विभिन्न एजैन्सियों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात वार्षिक योजना 2010-11 का ड्रॉफट प्रारूप तैयार करके कार्यसाधक समूह एवं योजना आयोग को माननीय उपाध्यक्ष , योजना आयोग एवं माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के स्तर पर होने वाली बैठक के लिए प्रस्तुत किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना (2010-11) का आकार 3000.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित किया गया था जिसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका क्षेत्र अनुसार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

(रूपये करोड़ों में)

क्रम संख्या	सैक्टर	वार्षिक योजना (2010-2011) परिव्यय
1.	**2.**	**3.**
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	342.84
2.	ग्रामीण विकास	168.66
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12.97
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	310.48
5.	ऊर्जा	354.37
6.	उद्योग एवं खनन	27.27
7.	संचार एवं परिवहन	588.93
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	20.00
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	93.45
10.	सामाजिक सेवाएं	1010.79
11.	सामान्य सेवाएं	70.24
	कुल	**3000.00**

तत्पश्चात मांग/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप-लघु शीर्षवार परिव्यय तैयार करके वर्ष (2010-11) के योजना परिव्ययों को वित्त विभाग को बजट में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया।

2. राज्य के प्राथमिकता वाले मुदे :

अत्याधिक महत्ता एवं प्राथमिकता वाले विभिन्न मन्त्रालयों में लम्बित पड़े, मुददों को निपटाने हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है । 2009-10 के दौरान रेलवे, ऊर्जा, सड़के एवं पुल, पर्यटन, शिक्षा, एवं जल वितरण इत्यादि से सम्बन्धित मामले भी विभिन्न मंत्रालओं से समय-समय पर उठाए गए ।

3. राज्य योजना बोर्ड :

दिसम्बर, 2007 को सरकार के सत्ता परिवर्तन के पश्चात सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करके राज्य योजना बोर्ड का पुर्नगठन किया गया । तत्पश्चात माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड के साथ दिनांक 27.1.2010 को बैठक का आयोजन किया गया व राज्य की आगामी वार्षिक योजना 2010-11 के लिए रू0 3000.00 करोड़ का आकार को चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया।

III. योजना कार्यान्वयन प्रभाग :–

योजना कार्यान्वयन प्रभाग को निम्न कार्य सौंपे गए हैं –

विधान सभा में बजट पारित होने के उपरान्त योजना बजट की कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्न प्रस्तावों के आधार पर शुरू की गई :–

1. यह प्रभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की आवश्यकता, योजना में प्राथमिकता को समक्ष रखते हुए विचलन या पुनर्विनियोजन करता है ।

2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिस में व्यय की सम्भावनाएं कम हों या कोई परियोजना जिसे चालू वर्ष में चलने की सम्भावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुऐ उसमें से कटौती करके पूरा किया जाता है ।

3. आधिक्य के प्रस्तावों के सन्दर्भ में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं तथा तत्काल ऐसे प्रकरण निपटाए गए ।

4. विभागों से चिन्हांकित/गैर चिन्हांकित विकास शीर्षों में फेरबदल के प्रस्ताव मंगवाए गए और संशोधित योजना परिव्यय की स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त की गई । योजना आयोग, भारत सरकार ने वार्षिक योजना 2009–10 के योजना आकार 2700.00 करोड़ रु0 को अनुमोदित किया है ।

5. इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से 189 संन्दर्भ परामर्श हेतू प्राप्त हुए जिसके परीक्षणोपरान्त उचित अभिमत विभागों को प्रदान किए गए ।

6. बजट के अनुरुप योजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण योजना को बजट के साथ कम्प्यूटर सॉफटवेयर के माध्यम से जोडा गया।

1. त्रैमासिक आधार पर योजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा:

इस प्रभाग को वार्षिक योजना के विभिन्न विकास शीर्षो के अन्तर्गत योजना व अन्य कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा का कार्य सौंपा गया है । वर्ष 2009–10 में योजना धनराशि के व्यय के लिए निम्न मापदण्डों को निर्धारित किया गया :–

क्रम संख्या	तिमाही	व्यय प्रतिशतताः
1	प्रथम तिमाही	25
2	द्वितीय तिमाही	30
3	तृतीय तिमाही	25
4	चतुर्थ तिमाही	20
	कुल :	**100**

भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय से राज्य की वार्षिक योजना (2009-10) की केन्द्रीय सहायता धनराशि की निर्मुक्ति शीघ्र करवाने के लिए संशोधित योजना परिव्यय वित्त पोषण स्कीम सहित, 31 दिसम्बर, 2009 तक योजना व्यय और वार्षिक योजना 2008-09 के अन्तिम पुष्ट व्यय आंकड़े वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग, भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं ।

2. त्रैमासिक बजट आबंटन :

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार वर्ष 1999-2000 से नई बजट आबंटन प्रणाली को आरम्भ किया गया है । वर्ष 2009-10 में इस प्रणाली के तहत सभी विभागों को तिमाहीवार प्राधिकृत योजना बजट भेजा गया तथा इसके आधार पर व्यय सूचना एकत्रित की गई ।

3. बजट आश्वासन :

बजट भाषण के अनुरुप बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है । वर्ष 2009-10 के बजट आश्वासनों की सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्रित की गई तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समस्त विभागों को बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए ।

4. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं :

राज्य की अर्थव्यवस्था तथा राज्य के संसाधनों को बढ़ाने में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का महत्वपूर्ण स्थान है । वर्तमान में शत-प्रतिशत एवं कुछ केन्द्रीय एवं राज्य भाग पर आधारित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

इस प्रभाग द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के सम्बन्ध में निम्न अनुसार कार्य किए गए :-

1. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत विभिन्न कार्यकारी विभागों को इन स्कीमों के कार्यान्वयन एवं वित्तीय पोषण हेतु परामर्श दिए गए ।
2. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से समन्वय कार्य जारी रखा गया ।

IV. पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना :–

प्रदेश सरकार द्वारा विकास में विद्यमान सूक्ष्म एवं क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए , पिछड़ा क्षेत्र उप योजना की परिकल्पना को विकसित किया गया । प्रदेश सरकार द्वारा 1995–96 के दौरान माननीय मुख्य मंत्री के बजट भाषण के अनुरूप पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई जोकि तब से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है । नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं :–

(क) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना में पिछडा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया :–

(i) **पिछडे घोषित विकास खण्ड** : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायते पिछडी घोषित हों, को पिछडे विकास खण्ड घोषित किए गए हैं । वर्तमान में प्रदेश में कुल आठ विकास खण्ड पिछडे घोषित हैं जिनमें कुल 304 पिछडी पंचायतें आती हैं ।

(ii) **कंटीगुअस पंचायतें** : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछडी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछडी पंचायतों के समूह घोषित किए गए । प्रदेश में कुल 15 पिछडी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 133 पिछडी पंचायतें आती हैं ।

(iii) **बिखरी पंचायतें** : जिन पिछडी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछडी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछडी पंचायतों का समूह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित की गई । प्रदेश में कुल 114 बिखरी हुई पिछडी पंचायतें हैं ।

(ख) चयनित 13 विकास शीर्षो के कुल परिव्यय का 15 प्रतिशत भाग पिछडा क्षेत्र उप योजना के लिए चिन्हांकित किया जाता है ।

(ग) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है ।

(घ) जिलों को पिछडा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत बजट आबंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछडी पंचायतों के अनुपात मे किया जाता है ।

(ङ) उप योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के

माध्यम से किया जाता है । उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।

प्रदेश में कुल 551 पंचायतें पिछडी घोषित की जा चुकी हैं । उप योजना के अलग बजट प्रबन्धन के लिए नई मांग संख्या–15 योजना एवं पिछडा क्षेत्र उप योजना सरकार द्वारा सृजित की गई है । वर्ष 2009–10 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत रू0 5700.00 लाख का बजट प्राबधान योजना में तथा रू0 3734.32 लाख गैर-योजना में रखा गया है । पिछड़ा क्षेत्र उप योजना एक गतिशील प्रक्रिया है तथा सुधार के लिए हमेशा उदार है । उप योजना में काफी लचीलापन है तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं जिलों की स्थानीय आवश्यकताओं का विशेष ध्यान दिया जाता है ।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2009–10 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(रू0लाखों में)

क्रम संख्या	जिला	पिछड़ी घोषित पंचायतों की संख्या	पिछडा क्षेत्र उप योजना 2009 - 10 परिव्यय		
			योजना	गैर-योजना	योग
1	2	3	4	5	6
1	बिलासपुर	15	155.17	101.66	256.83
2	चम्बा	159	1644.83	1077.60	2722.43
3	हमीरपुर	13	134.48	88.11	222.59
4	काँगड़ा	17	175.86	115.21	291.07
5	कुल्लू	79	817.24	535.41	1352.65
6	मण्डी	149	1541.38	1009.83	2551.21
7	शिमला	83	858.62	562.52	1421.14
8	सिरमौर	26	268.97	176.21	445.18
9	सोलन	7	72.42	47.44	119.86
10	ऊना	3	31.03	20.33	51.36
	योग	**551**	**5700.00**	**3734.32**	**9434.32**

पिछडा क्षेत्र उप योजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य जैसे कि बजट आवंटन, उप–योजना की समीक्षा एवं प्रोबोधन, ए.जी./ सी.ए.जी. एवं विधान सभा, इत्यादि से सम्बन्धित कार्य वर्ष 2009–10 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना प्रभाग द्वारा निष्पादित किये गये ।

V. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभागः-

राज्य स्तर से विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों का संचालन तथा मॉनिटरिंग करने के लिए इस प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीयकृत नियोजन कार्यक्रमों के संदर्भ में किए गए क्रिया– कलापों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

स्थानीय स्तर पर विकास प्रक्रिया में अधारभूत ढांचे की प्रतिपूर्ति तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने व सरकारी प्रयत्नों एवं संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1991–92 में विकास में जन सहयोग कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है तथा नकद सामुदायिक भागीदारी को सम्बन्धित उपायुक्तों के नाम से बैंक / डाकघरों में खोले गए खातों में जमा किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.00 लाख रूपए कार्य लागत तक की कार्य योजनाओं को उपायुक्तों द्वारा, 20.00 लाख रूपए तक की कार्य योजनाओं को योजना निदेशालय, 40.00 लाख रूपए से अधिक की योजनाओं को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत करने की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है।वर्ष 2009–10के दौरान 1400.00 लाख रूपए की धनराशि उपायुक्तों को उनके स्तर पर कार्य स्वीकृतियां (किन्नौर और लाहौल–स्पिति जिलों को छोड़कर) जारी करने के लिए प्रदान की गई।

2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन :

विकेन्द्रीकृत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1993–94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास करवाने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स इत्यादि का कार्यन्वयन किया जाता है। वर्ष 2009–10 के दौरान 3695.88 लाख रूपए प्रावधित बजट के विरूद्ध 3698.88 लाख रूपए की धनराशि तक समस्त उपायुक्तों (किन्नौर और लाहौल स्पिति जिलों को छोड़कर) को उनके स्तर पर स्वीकृतियों जारी करने के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.00 लाख रूपए अतिरिक्त धनराशि विकास में जन सहयोग कार्यक्रम से पुर्नविनियोजित करके उपलब्ध करवाई गई है।

3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजनाः

विकेन्द्रीकृत नियोजन के सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का आरम्भ किया गया था लेकिन वर्ष 2001–02 में इस स्कीम को समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2003–04 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया है तथा 24.00 लाख रू0 की धनराशि प्रत्येक विधायक को उनके अपने–अपने चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों को करवाने हेतु आबंटित की गई थी। माननीय विधायकों द्वारा इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के परिणामस्वरूप इसका कार्यान्वयन एवं समीक्षा अधिक प्रभावी एवं व्यापक हुई है। इस योजना के कार्यान्वयन से प्रदेश के सभी क्षेत्रों का राजनैतिक सम्बद्धता का विचार किए बिना सन्तुलित विकास हुआ है तथा सभी विधायक एक समान व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2009–10 में इस योजना के अन्तर्गत 1956.12 लाख रू0 की धनराशि गैर जन जातीय जिलों को विभागीय कार्यो के कार्यन्वयन हेतु मु0 30.00 लाख रू0 प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध करवाई गई है। इस 30.00 लाख रू0 की धनराशि में से 5.00 लाख रू0 की धनराशि माननीय विधायकों की अनुशंसानुसार मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना के दिशा–निर्देशों अनुसार कार्यों के कार्यान्वयन हेतु खर्च की जाएगी।

4. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजनाः

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़को से जोड़ने के अतिरिक्त गांवो के कच्चे रास्तों को भी पक्का करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना वर्ष 2002–2003 में 10 गैर जनजातिय जिलों में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में 2 कि0 मी0 लम्बी जीप योग्य/ ट्रैंक्टर योग्य सड़को का भी निर्माण किया जाता है। वर्ष 2004. 05 में इस योजना को बन्द कर दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना को पुनः आरम्भ किया गया है। वर्ष 2009–10 के लिए 1000.00 लाख रू0 की बजट धनराशि प्रावधित की गई है तथा सम्पूर्ण धनराशि गैर जनजातीय जिलों के उपायुक्तों को कार्यो के कार्यन्वयन हेतु जारी की जा चुकी है।

5. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजनाः

वर्ष 1993–94 से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना को प्रदेश में आरम्भ किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत माननीय सांसद सदस्यों द्वारा अपने – अपने निर्वाचन क्षेत्रों के पूंजीगत छोटे–छोटे कार्यो क्रमशः पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जनस्वास्थ्य और सड़कों इत्यादि को करने की अनुशंशा की जाती है। कार्यो की स्वीकृतियां उपायुक्तों द्वारा प्रदान की जाती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद सदस्य को वर्ष 1993–94 से 5. 00 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की जाती थी जिसे वर्ष 1994–95 में बढ़ाकर 1.00 करोड़ रूपये कर दिया गया था । वर्ष 1998–99 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.00 करोड़ रूपये की धनराशि प्रत्येक सांसद सदस्य को प्रदान की जाती है ।

VI. जनशक्ति एवं रोजगार प्रभागः–

जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग को निम्न प्रमुख कार्य सौंपे गये हैं :–

1. जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका तैयार करनाः

इस पुस्तिका की सांख्यिकीय तालिकाओं में जनसंख्या,श्रम शक्ति, रोजगार, बेरोजगारी, प्रशिक्षण संस्थान जिनका सीधा सम्बन्ध प्रशिक्षण तथा रोजगार से हैं, सम्बन्धित सूचना का संकलन किया जाता है । तथ्य पुस्तिका वर्ष 2000–01 से 2007–08 तैयार कर दी गई है तथा वर्ष 2008–09 की सूचना का संकलन किया जा रहा है । इस पुस्तिका को प्रकाशित करने का कार्य निरन्तर प्रकृति का है जिसके लिये अनुवर्ती कार्रवाई एवं पुनरीक्षण आवश्यक है ।इस तथ्य पुस्तिका के तीन भाग हैं । भाग एक में जनसंख्या के लक्षणों की विस्तृत जानकारी तथा इसकी प्रक्षिप्त वार्षिक वृद्धि और राज्य में श्रम शक्ति की रचना । भाग दो में निजि एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार से सम्बन्धित सांख्यकीय तालिकायें तथा रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टर में प्रार्थियों की सख्या तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता दर्शाई जाती है । भाग तीन में राज्य में उपलब्ध शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं बारे जानकारी दी जाती हैं जैसे कि राज्य में संस्थानों की संख्या, अध्यापक, नामांकन, अर्न्तग्रहण (Intake) तथा बाहयार्पण (Outturn) ।

2. ई.एम.आई. कार्यक्रम तथा उपलब्ध आंकडों के आधार पर रिपोर्टः

ई.एम.आई. कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों पर तिमाहीवार रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 1988 से आरम्भ किया गया है । संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों के वर्ष 2007–08 की तिमाहीवार सूचना को प्रकाशित कर दिया गया है तथा वर्ष 2008–09 की सूचना को संकलित कर दिया गया है तथा शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा ।

3. राज्य सरकार की रोजगार योजनाः

राज्य सरकार की रोजगार योजना के लिये अनुश्रवण एवं समीक्षा नीति :

राज्य सरकार में रोजगार योजना बजट दस्तावेज का एक उप–उत्पादन (by-product) है । योजना विभाग रोजगार सृजन से सम्बन्धित सूचना मासिक आधार पर समस्त सम्बन्धित विभागों से एकत्रित करता है । राज्य सरकार ने रोजगार येाजना के अन्तर्गत त्रिमुखी रोजगार नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत (1) सरकारी क्षेत्र में रोजगार (2)संगठित तथा स्वरोजगार क्षेत्र में रोजगार और (3) मजदूरी घटक रोजगार सृजन के उल्लेख को राज्य सरकार की रोजगार नीति माना गया है । रोजगार सृजन की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा मासिक स्तर पर नियमित रूप से की जाती है । विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियाँ प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

4. **दक्षता उन्नयन (Skill Development)**

दक्षता उन्नयन के कार्य का समन्वय योजना विभाग द्वारा किया जा रहा है । हिमाचल प्रदेश में रोजगार के योग्य युवाओं के वर्तमान दक्षता के स्तरों को मापने और दक्षता अन्तर (Skill Gaps) के लिए अध्ययन का कार्य HPIDB द्वारा M/ S ICRA Management Consulting Services को सौंपा गया था । ICRA द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और इसके परिणामों के ऊपर ICRA द्वारा एक प्रस्तुति (Presentation) आयोजित की गई । दक्षता उन्नयन से सम्बन्धित सार तैयार किया गया तथा दक्षता उन्नयन पर राज्य सरकार का Action Plan तैयार किया जा रहा है । राष्ट्रीय दक्षता उन्नयन मिशन के अनुरूप माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में राज्य दक्षता उन्नयन मिशन का गठन कर दिया गया है तथा इसकी बैठकें समय समय पर नियमित रूप से की जा रही है ।

VII. परियोजना रूपांकन प्रभाग :-

प्रशासनिक उपयुक्तता लाने के लिए योजना विभाग के परियोजना रूपांकण प्रभाग को परियोजनाओं के विश्लेषण का कार्य दिया गया है । जिसके लिए अनुशासित एंव तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना पड़ता हैं । योजना विभाग के इस कक्ष का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ प्राधिकरणों, निजि निवेशकर्ताओं व केन्द्रीय सरकार को वितीय प्रबन्ध के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एंव वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एंव अनुश्रवण करता हैं । यह प्रभाग सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन तथा समीक्षा हेतु सीधे पत्राचार करता है । इस प्रभाग द्धारा किए गये कार्यो का विवरण निम्न हैः–

1. राज्य में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के वार्षिक वितीय एंव भौतिक लक्ष्यों की परिदृष्टि में त्रैमासिक समीक्षा करना ।

2. केन्द्र से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की अद्यतन सूचना रखना तथा व्यय के विरुद्ध दायर प्रतिपूर्ति दावों को आर्थिक कार्य विभाग, वित मन्त्रालय, भारत सरकार से निमुर्क्त करवाने के लिए एक कड़ी का कार्य करना ।

3. विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्ताव प्रेषित करने के सन्दर्भ में परामर्श देना ।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यः–

इस प्रभाग द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों से नई परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने हेतू समन्वय किया गयाः–

1. जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोपरेशन (जे.बी.आई.सी.)/ जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजैंसी (जीका) ।
2. जर्मन संघीय गणतन्त्र (एफ. आर. जी. व के. एफ. डब्लयू.) ।
3. विश्व बैंक ।
4. फ्रांस डिवैल्पमैंट एजैन्सी ।
5. एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.)

उपरोक्त संस्थानों से प्राप्त मार्गदर्शिकाओं को परियोजना प्रस्ताव आमन्त्रित करने के लिए सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया गया तथा उनसे यह अग्रह किया गया कि वे राज्य की प्राथमिकतओं को देखते हुये परियोजना प्रस्ताव बनाऐं । योजना विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त इन परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, वितीय मापदण्डों के दृष्टिगत विश्लेषण किया गया तथा अनुमोदनोपरान्त सभी परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों को इस सलाह के साथ लौटाए गये कि वे प्रस्तावों को अपने सम्बन्धित मन्त्रालयों के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सम्बन्धित वित्त प्राधिकरणों के साथ वित्तीय सहयोग के लिए उठाये ।

हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित किए जा रहे बाह्य सहायता प्राप्त एवं विचाराधीन बाह्य सहायता परियोजनाओं की सूचना क्रमशः अनुबन्ध **"अ" एवं "ब"** पर है ।

अनुबन्ध–अ

हिमाचल प्रदेश में चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण

(रू0 करोड़ में)

क0 सं0	परियोजना का नाम	कुल लागत		शुरू करने की तिथि	समाप्ति की तिथि	हिस्सेदारी		31-3-2009 तक कुल खर्चा	31.3.2009 तक कुल बाह्य प्रतिपूर्ति प्राप्तियाँ	2009-10 के लिए आवंटन	2009-10 वर्ष (31.12.2009 तक) खर्चा	2009-10 (31.12.09 तक) के दौरान प्रतिपूर्ति		वर्ष 2010–11 के लिए प्रस्तावित परिव्यय
		वास्तविक	संशोधित			प्रतिशत बाह्य सहायता	प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी					दावा	प्राप्तियाँ	
1.	हि.प्र.राज्य सड़क परियोजना	1365.43	1365.43	7/2007	12/2012	72.50	27.50	107.56	43.64	100.00	99.58	40.53	32.86	115.00
2.	हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना, सोलन	365.00	365.00	10/2005	3/2013	80	20	140.24	112.19	50.00	23.34	18.67	18.08	60.00
3.	स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना, ऊना	160.00	160.00	31/3/06	3/2014	85	15	23.30	20.89	20.00	16.61	15.33	13.73	30.00
4.	हाईड्रोलोजी परियोजना–II	49.50	49.50	4/2006	6/2012	90%	10%	9.81	5.57	8.00	3.00	3.91	2.72	13.50
	कुल –	**1939.93**	**1939.93**					**280.91**	**182.29**	**178.00**	**142.53**	**78.44**	**67.39**	**218.50**
विद्युत परियोजनाएं**:**														
1	सावड़ा कुडडू जल जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट)	728.00	1182.00	10.02.09	12/2012			198.94	–		53.50	41.42	41.42	
2	(क) काशंग (स्टेज–I) जल विद्युत परियोजना (65 मैगावाट) (ख) काशंग (स्टेज–II व III) जल विद्युत परियोजना (130 मैगावाट)	1939.00	1939.00	3.3.09	1/ 2013 Stage-I & 12/ 2013 Stage II & III	**53:17**	**30**	140.08	–	**290.50**	19.63	17.52	17.52	**190.50**
3	सैंज जल जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)	765.00	785.00	-	4/2014			25.98	–		23.21	0	0	
4	शोंगटोंग करच्छम जल जल विद्युत परियोजना (402 मैगावाट)	2750.00	2750.00	-	3/2015			12.49	–		2.98	0	0	
5	कपैसटी डिवैलपमैन्ट	45.00	45.00	-	-	100		–	–		1.50	1.16	0.62	
	कुल – विद्युत परियोजनाएं **(1-5)**	**6227.00**	**6701.00**					**377.49**		**290.50**	**100.82**	**60.10**	**59.56**	**190.50**
	कुल जोड़ः–	**8166.93**	**8640.93**					**658.40**	**182.29**	**468.50**	**243.35**	**138. 54**	**126.95**	**408.50**

कपैसिटी बिल्डिंग 100 प्रतिशत बाह्य सहायता प्राप्त ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 190.00 करोड़ रू0 के विरूद्ध प्रदेश सरकार द्वारा 100.00 करोड़ रू0 की समानता हिस्सेदारी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी ।

अनुबन्ध–"ब"

बाह्य सहायता परियोजनाएं जो पाईपलाईन में है ।

कम संख्या	परियोजना का नाम	विभाग का नाम	डोनर एजैंसी का नाम	कुल अनुमानित लागत
1.	2.	3.	4.	5.
1.	रोड मैप टूरिज्म फार ईनफरास्ट्रक्चर डवैलपमैंट ।	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	ऐशियन डवैलपमैंट बैंक	300.00 करोड़ रूपये
2.	बायो–कार्बन परियोजना ।	वन	विश्व बैंक	72.50 करोड़ रूपये
3.	हिमालय क्षेत्रों में सतत् जीविका हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर प्रोजैक्ट प्रस्ताव।	कृषि	निर्धारित नहीं हुआ है ।	120.00 करोड़ रूपये
4.	परियोजना टाईप तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत "मांग आधारित नकदी फसल उत्पादन एवं किसान मित्र विपणन प्रणाली की स्थापना"	कृषि	जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जे0आई0 सी0 ए0)	23.16 करोड़ रूपय
5.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	तकनीकी शिक्षा	विश्व बैंक	100.00 करोड़ रूपय
6.	पब्बर नदी से शिमला शहर के लिए ग्रेवटी पेयजल परियोजना	सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग	विश्व बैंक	715.00 करोड़ रूपय

VIII. नावार्ड ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि–आर.आई.डी.एफ

नाबार्ड ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि–आर.आई.डी.एफ. पर संक्षिप्त नोट

वर्ष 1995–96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित मन्त्री ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबार्ड राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू–संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं जिसमें ग्रामीण सड़कें, मार्किट यार्ड इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा । आरम्भ में यह योजना आर.आई.डी.एफ–1 के अन्तर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए थी जिसमें नाबार्ड से 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रावधान था । इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप इस योजना को आर.आई.डी.एफ . II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV तथा XV के अर्न्तगत भी जारी रखा गया है तथा इसकी ऋण सहायता राशि को भी 90/95 प्रतिशत बढ़ा दिया गया ।

राज्य सरकार नाबार्ड से आर0 आई0 डी0 एफ0 के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है । कुछ एक मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए प्रदेश सरकार ने नाबार्ड से परियोजनाऐं अनुमोदित करवाई है या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण ।
2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण ।
3. बाढ़ नियंत्राण कार्यो का निर्माण ।
4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण ।
5. प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण ''सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना''
6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना ।
7. ई–अभिशासन (E-Governance)
8. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण ।
9. जल प्रवाह विकास योजना ।
10. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण ।
11. Precision Farming पद्धति अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना (पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई) ।
12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना ।
13. ग्रामीण क्षेत्रों में बस अडडों का निर्माण ।

नावार्ड द्वारा दिनांक 16–02–2010 तक प्रदेश सरकार को 2691.19 करोड़ रू0 के विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है । जिसका कार्य्रकमवार विवरण निम्नलिखित है :–

(रू0करोड़ में)

ट्रांच विवरण	**कार्यक्रम की अवधि**	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**नाबार्ड ऋण सहायता**	**राज्य अंशदान**	**कुल स्वीकृत राशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
आर.आई.डी.एफ -I	1995-96 से 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ -II	1996-97 से 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ -III	1997-98 से 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ -IV	1998-99 से 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ -V	1999-2000 से 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
आर.आई.डी.एफ -VI	2000-01 से 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
आर.आई.डी.एफ-VII	2001-02 से 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
आर.आई.डी.एफ-VIII	2002-03 से 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ -IX	2003-04 से 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ -X	2004-05 से 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ -XI	2005-06 से 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ-XII	2006-07 से 2008-09	382	273.48	36.42	309.90
आर.आई.डी.एफ-XIII	2007-08 से 2010-11	369	299.26	34.99	334.25
आर.आई.डी.एफ-XIV	2008-09 से 2011-12	137	425.12	28.15	453.27
आर.आई.डी.एफ-XV	2009-10 से 2012-13 (16.02.2010 तक)	223	454.11	37.00	491.11
	कुल योगः (I से XV)	**4237**	**2691.19**	**255.07**	**2946.26**

दिनांक 16–02–2010 तक उपरोक्त स्वीकृत राशि की तुलना में प्रदेश सरकार ने 1654.97 करोड़ रू0 की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है जिसका विवरण निम्न तालिका में है :–

(रू0करोड़ में)

कार्यक्रम	**स्वीकृत ऋण राशि**	**प्राप्त की गई राशि**			**प्रतिशतता**
		1995-96 से 2008-09	**2009-10 (16-02.10 तक)**	**कुल**	
1.					
आर.आई.डी.एफ -I	14.23	14.23	0.00	14.23	100.00
आर.आई.डी.एफ -II	52.96	52.84	0.00	52.84	99.77
आर.आई.डी.एफ -III	51.12	49.43	0.00	49.43	96.69
आर.आई.डी.एफ -IV	87.81	79.14	0.00	79.14	90.13
आर.आई.डी.एफ -V	110.36	108.09	0.00	108.09	97.94
आर.आई.डी.एफ -VI	127.20	127.88	0.00	127.88	100.53*
आर.आई.डी.एफ-VII	168.24	174.79	0.00	174.79	103.89*
आर.आई.डी.एफ-VIII	169.29	154.00	0.00	154.00	90.97
आर.आई.डी.एफ -IX	141.70	110.69	0.89	111.58	78.74
आर.आई.डी.एफ -X	91.64	71.98	5.19	77.17	84.21
आर.आई.डी.एफ -XI	224.67	151.49	25.36	176.85	78.74
आर.आई.डी.एफ-XII	273.48	116.70	49.10	165.80	60.63
आर.आई.डी.एफ-XIII	299.26	90.54	24.01	114.55	38.28
आर.आई.डी.एफ-XIV	425.12	113.15	44.15	157.30	37.00
आर.आई.डी.एफ-XV (16-02.10 तक)	454.11	0.00	91.32	91.32	20.11
कुल	**2691.19**	**1414.95**	**240.02**	**1654.97**	**61.50**

* वितरित ऋण राशि, स्वीकृत ऋण राशि से इसलिए अधिक है क्योंकि पूर्व में जारी अग्रिम को भविष्य में आहरण की गई राशि में समायोजित नहीं किया गया है ।

प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को चुनने, अनुमोदन तथा समीक्षा किए जाने हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है ।

IX. 20–सूत्रीय कार्यक्रम :-

वर्ष 2007 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के समन्वय, समीक्षा, अनुश्रवण तथा प्रगति प्रतिवेदन हेतू योजना विभाग को Nodal विभाग घोषित किया गया है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2008 में राज्यों के श्रेणीकरण में तीसरा स्थान रहा है । वर्ष 2009–10 में माह नवम्बर 2009 तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों के श्रेणीकरण में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है ।

2. विभिन्न ज़िलों में प्रतिस्पर्धा लाने हेतू राज्य सरकार ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर ज़िला श्रेणीकरण विशलेषण शुरू करने का निर्णय लिया है । माह अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के लिए अन्तर ज़िला विशलेषण के आधार पर सभी ज़िलों में हमीरपुर तथा कांगड़ा ज़िलों को उच्च

श्रेणी ज़िला आंका गया जबकि ज़िला ऊना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ । इसी प्रकार माह अप्रैल 2009 से सितम्बर 2009 के लिए भी ज़िला विशलेषण किया गया । इस विशलेषण के अनुसार ज़िला मण्डी, सोलन तथा ऊना को उच्च श्रेणी ज़िले आंका गया है ।

3. योजना विभाग द्वारा सत्त समीक्षा के परिणामस्वरूप इस प्रदेश का बीस सूत्रीय कार्यक्रम के निष्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है । मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में 12 नवम्बर, 2009 को एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया था । उक्त बैठक में सभी सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वयन की स्थिति उत्कृष्ठ श्रेणी में लाने के लिये bold face निर्देश जारी किए गए, ताकि प्रदेश अन्तर राज्य श्रेणीकरण में उच्चतम स्थान बरकरार रख सके ।

4. बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य योजना विभाग की वैब–साईट **(www. hp planning-nic.in)** में डाले गये हैं । मासिक अनुश्रवण वाली मदों के लिए सभी विभागों के सभी प्रतिवेदन मदों का चयन किया गया है तथा उन्हें योजना विभाग की वैब साईट पर डाला गया है ।

X. रेलवे प्रभाग :–

हिमाचल प्रदेश में रेल विस्तार करने के लिए योजना विभाग के रेलवे प्रभाग ने वर्ष 2009–10 में निम्नलिखित कार्रवाई की है:–

1. राज्य सरकार के आग्रह पर रेलवे मंत्रालय ने राज्य सरकार को भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी ब्रॉडगेज़ रेल लाईन के प्रथम 20 किलोमीटर क्षेत्र में भू–अधिग्रहण के लिये कहा है। चूंकि यह लाईन भानुपल्ली (पंजाब) से प्रारम्भ होती है इसलिये पंजाब के अधिक्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के अधिग्रहण के लिये माननीय मुख्यमंत्री पंजाब से आग्रह किया था जिसके परिणामस्वरूप भू–अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रथम 20 किलोमीटर में पड़ने वाले समस्त 24 गांवों की अधिसूचनायें जारी कर दी हैं (14 गांव पंजाब में और 10 गांव हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं) ।

2. नंगल तलवाड़ा ब्रॉडगेज़ रेल लाईन के अम्ब–अन्दौरा से दौलतपुर खण्ड में भू–अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा–4 के अन्तर्गत 10 गांवों की अधिसूचनायें जारी की जा चुकी हैं और इन गावों में से 8 गांवों की अधिसूचनायें धारा–6 एवं 7 के अन्तर्गत भी जारी कर दी हैं । शेष गांवों के लिये भू–अधिग्रहण की अधिसूचनायें क्षेत्रीय कार्य और अन्य सम्बन्धित औपचारिकताओं के पूरा होने पर जारी कर दी जायेंगी । इसके अतिरिक्त रेलवे मंत्रालय से यह भी आग्रह किया है कि इस रेल लाईन को दिसम्बर, 2013 तक पूरा कर लिया जाये ।

3. प्रदेश सरकार रेल मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय से, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी ब्रॉडगेज़ रेल लाईन को लेह–लद्दाख तक विस्तार करने के लिये आग्रह करती आ रही है ताकि सीमा क्षेत्रों तक रक्षा सम्बन्धी उपकरण एवं मशीनरी ले जाई जा सकें और साथ ही

क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढावा मिल सकें । प्रदेश सरकार के लगातार प्रयास के फलस्वरूप रेल मंत्रालय ने रेलवे बजट 2010–11 में इस रेल लाईन को सामाजिक रूप से वांछनीय परियोजनाओं में शामिल किया है ।

4. प्रदेश सरकार के आग्रह पर रेलवे मन्त्रालय ने घनौली–बद्दी रेल लाईन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है । विकल्प के रूप में बद्दी को कालका से जोड़ने के लिए रेलवे से मामला उठाया है ताकि प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके ।

XI. मूल्यांकन प्रभाग :-

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग को विभिन्न महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं व परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है । मूल्यांकन का उददेश्य परियोजनाओं / योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु उपाय सुझाना है । विभिन्न कार्यान्यवन अभिकरणों के मूल्यांकन प्रस्तावों के चयन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है । वर्ष 2009–10 में सामुदायिक मत्स्य तालाब कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन के कार्य को पुरा किया गया । क्षेत्रीय रोजगार एक्सचेंज, शिमला में पंजीकृत व्यक्तियों का मूल्यांकन अध्ययन भी लगभग पूर्ण है । निम्न मूल्यांकन अध्ययन पर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है :–

1. विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम (5%)
2. जल प्रवाह विकास कार्यक्रम

जिला योजना कक्षों द्वारा उक्त अध्ययनों का क्षेत्रीय कार्य किया जा रहा है । राज्य मुख्यालय स्तर पर कर्मचारियों की कमी तथा जिला योजना कक्ष के कर्मचारियों का दूसरी गतिविधियों /नियत कार्यों में व्यस्त रहने की वजह से अध्ययन निर्धारित समय पर नहीं हो सका है । यद्यपि, सम्बन्धित उपायुक्तों को इस सन्दर्भ में निर्देश जारी किए गए है कि अध्ययन का कार्य शीघ्र करवाएं ताकि मूल्यांकन अध्ययन का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके ।

XII- विधायकों का प्रभाग

यह प्रभाग विधायकों की प्राथमिकता वाली स्कीमों के अनुश्रवण के कार्य को देखता है । वर्ष 2009–10 में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 14 तथा 15 जनवरी 2010 को वर्ष 2010–11 के योजना बजट में सड़क तथा पुल, पेयजल तथा लघु सिंचाई की स्कीमों के समावेश हेतू विधायकों की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिये माननीय विधायकों की बैठक आयोजित की गई । उक्त बैठकों में पिछले वर्ष की बैठकें जो कि 15 तथा 16 जनवरी 2009 को आयोजित की गई थीं में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही रिर्पोट प्रस्तुत की गई तथा विभिन्न मुद्दों पर

चर्चा की गई । इसके अतिरिक्त माननीय विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दों पर प्रकाश डाला तथा मित्तव्ययता, वित्त संसाधन जुटाने, बेहतर प्रशासन आदि पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिये ।

XIII. कम्पयूटर प्रभाग :-

कम्पयूटरीकरण आवश्यकताओं की विभाग में प्रतिपूर्ति तथा योजना आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय आंकड़ों के रख रखाव के लिए कम्पयूटर प्रभाग की स्थापना की गई है । योजना विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी प्रकाशन रिपोर्टें पहले कम्पयूटर पर ही तैयार किए जाते हैं तथा उसके उपरान्त मुद्रण करवाया जाता है । यह प्रभाग, विभाग की साफटवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रभागों के निम्न साफटवेयर को विकसित किया है :-

1. दसवीं पंचवर्षिय योजना (2007-2012) की जी0एन0 स्टेटमैटस पर सौफ टवेयर ।
2. वार्षिक योजना (2010-2011) के प्रबोधन कार्य का पैकएज ।
3. योजना विभाग के कर्मचारियों के पे-रोल तथा मासिक पे-रोल की अनुसूचियों व अतिरिक्त महंगाई भत्ते का पैकएज तैयार किया गया ।
4. विधायक, मूल्यांकन, आर.आई.डी.एफ प्रभाग का सौफ टवेयर
5. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के बजट परिव्ययों का जिलावार एंव एस0ओ0ई0 वार आंबटन का पैकएज तैयार किया गया ।
6. विभिन्न योजना कार्य्रकमों / स्कीमों के मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्टस का कम्पयूटरीकरण किया गया ।
7. आयकर विवरणिकाओं का सौफट-वेयर तैयार किया गया ।
8. माननीय विधायकों के साथ योजना के सूत्रीकरण से सम्बन्धित बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही का कम्पयूटरीकरण किया गया ।
9. वर्ष 2009-10 के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्रेषित की गई प्राथमिकता वाली स्कीमों का बजट दस्तावेज तैयार किया गया ।
10. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए प्दजमतदमज`नतपिदह का कार्य किया गया ।
11. Fact Book on Manpower अध्ययनों की रिपोर्टस का कम्पयूटरीकरण किया गया
12. 20-सूत्रीय कार्यक्रम त्रैमासिक रिपोर्टस
13. विभाग की Web site तैयार करना तथा उस की maintenance/updation.

XIII. सूचना का अधिकार नियम 2005 उप-नियम 4 (1) (बी)के अन्तर्गत

(i)	**संख्याः1**	**कृपया क0सं0 1 पर विभाग के परिचय एवं संगठनात्मक ढांचे का अवलोकन करें**
(ii)	अधिकारियेां एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं डियूटी1	**<u>सलाहकार (योजना)</u>** विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण 1 **<u>संयुक्त निदेशक (योजना)</u>** संयुक्त निदेशक सलाहकार (योजना) को विभिन्न योजना स्कीमों जैसे कि वाहय सहायता परियोजनाएं, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, ग्रामीण आधारभूत संरचना इत्यादि के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में सहयोग देना। **<u>उप-निदेशक (योजना)</u>** विभाग के सभी उप-निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना रूपाकन, योजना कार्यान्वयन, परियेाजना रूपांकन, नौराड़ मूल्यांकन एवं रोजगार कम्पयूटरीकरण, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन और पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के नियन्त्रक हैं तथा विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निवारण हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं 1 **<u>अनुसंधान अधिकारी</u>** विभागों के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप-निदेशकों की सहायता करते हैं 1सभी नस्तियां उनके माध्यम से उप-निदेशकों को भेजी जाती है । **<u>सहायक अनुसंधान अधिकारी</u>** विभिन्न कार्यों, प्रस्तावेां एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियेां को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं । **सांख्यिकीय सहायक** विभिन्न कार्यों, प्रस्तावेां एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियेां को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं । **<u>गणक</u>** विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियेां द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं 1 **<u>कार्यक्रम योजना अधिकारी</u>** कार्यक्रम योजना अधिकारी कम्पयूटर कक्ष के प्रभारी हैं 1 यह कक्ष योजना विभाग में जहां पर कम्पयूटर पर कार्य की आवश्यकता पड़ती है उन्हें करने के लिए बनाया गया है 1 **<u>गणक संचालक</u>** यह कर्मचारी विभाग के विभिन्न प्रभागों के कम्पयूटर से सम्बन्धित कार्यों जैसे कि डाटा फीड इत्यादि में कार्यक्रम योजना अधिकारी की सहायता करते हैं 1

		<u>अधीक्षक ग्रेड–11</u> अधीक्षक वर्ग–11 योजना विभाग के प्रशासन कक्ष में प्रशासनिक कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु कार्यरत है1 प्रशासन प्रभाग के सभी सम्बन्धित सहायक अपनी नस्तियां अधीक्षक वर्ग–11के माध्यम से , आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं उप–निदेशक (प्रशासन) कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से अपनी नस्तियां विभागाध्यक्ष को अन्तिम निर्णय के लिए प्रशासनिक मामले प्रस्तुत करते हैं 1 **<u>वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक</u>** विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को उच्च अधिकारियेां के स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं 1 **<u>लिपिक</u>** यह प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग–11 द्वारा सौंपे गए डायरी डिस्पैच एवं अन्य कार्य का निष्पादन करते हैं 1 **<u>निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक</u>** यह कर्मचारी विभागाध्यक्ष,संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं 1 तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों एवं अभिलेखों का रख–रखाव करते हैं 1 **आशुटंकक** योजना विभाग के मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों एवं जिला योजना कक्षों में टंकण कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यरत हैं 1 **<u>प्रतिलिपि यन्त्र चालक</u>** विभाग के प्रतिलिपि यन्त्र एवं फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं 1 **<u>चपड़ासी</u>** विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना तथा टेवल इत्यादि की सफाई का कार्य करते हैं 1 **<u>चौकीदार</u>** विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त निगरानी/देखरेख रखता है 1 **<u>सफाई कर्मचारी</u>** विभाग के कमरों,वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनें की सफाई हेतु नियुक्त हैं 1
(iii)	प्रतिवद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णायत्मक प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम	मुख्यालय स्तर पर सलाहकार (योजना) विभागाध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग करते हैं तथा विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं 1 विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते है। विभाग की नस्तियां प्रभागध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार (योजना) को प्रस्तुत की जाती है 1

(iv)	कार्य निष्पादन हेतु निश्चित मापदण्ड	विभाग के भिन्न-2 कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय-2 पर निर्धारित नियमों/ नितियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं 1
(v)	नियम,विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में हैं अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यो के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं 1	नियमों विनियमों, निर्देशों नियमावली जोकि विभाग के पास है उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैंः- 1. सी.सी.एस. लीव रूलज,1972 2. सी.सी.एस. एण्ड सी.सी.एस रूलज 3. एच.पी.एफ.आर रूलज 4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज 5. मैडिकल एटैन्डैंस सुविधा नियम 6. गृह निर्माण अग्रिम रूलज 7. यात्रा अवकाश रूलज 8. बजट मैनुअल 9. आफिस मैनुअल 10. पैंशन नियम 11. सामान्य भविष्य निधि नियम 12. विकेन्द्रकृत नियोजन दिशा निर्देश 13. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम दिशा निर्देश 14. क्षेत्रीय विकास निधि येाजना दिशा निर्देश 15. मुख्यमन्त्री गाम पथ योजना दिशा निर्देश 16. सांसद निधि योजना दिशा निर्देश 17. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना दिशा-निर्देश 18. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना दिशा निर्देश 19. ग्रामीण संरचना विकास निधि दिशा निर्देश
(vi)	दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों1	पंच वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न-भिन्न योजना कार्यक्रमों का मुल्यांकन अध्ययन,जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच वर्षीय योजना मध्यकालीन समीक्षा, विधायकों की प्राथमिकताओं की स्कीमें तथा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 1
(vii)	किसी निति को बनाने या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के सम्बन्ध में कोई विवरण हो तो 1	हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन विभाग में होता है तथा इसमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को शामिल किया जाता है 1 इस बोर्ड की बैठकों में वार्षिक येाजनाएं एवं पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन होता है तथा अनुमोदन उपरान्त इनकी प्रगति एवं कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समीक्षा भी की जाती है 1

(viii)	बोर्ड, कौंसिल, कमेटियां एवं अन्य निकाय/सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए खुली हों या बैठकों की कार्यवाही लोगों की पहुंच में हो1	विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गठन किया गया है:- 1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड 1 2. राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा समितियां । इन बोर्डो/कमेटियों की बैठकें आम लोगेां के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही लोग ले सकते हैं 1
(ix)	विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियेां की निर्देशिका 1	1. सलाहकार (योजना) 2. संयुक्त निदेशक(योजना) 3. उपनिदेशक(योजना) 4. अनुसंधान अधिकारी 5. सहायक अनुसंधान अधिकारी 6. सांख्यिकीय सहायक 7. गणक 8. कार्यक्रम योजना अधिकारी 9. गणक संचालक 10. अधीक्षक वर्ग-11 11. वरिष्ठ सहायक 12. कनिष्ठ सहायक 13. लिपिक 14. निजि सहायक 15. निजि सचिव 16. वरिष्ठ आशुलिपिक 17. कनिष्ठ आशुलिपिक 18. आशुलिपिक 19. प्रतिलिपि यन्त्र चालक 20. चपड़ासी 21. चौकीदार 22. सफाई कर्मचारी

(x)	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली 1	स्रकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियेां व कर्मचारियों को परिश्रमिक दिया जाता है 1 वेतनमान विवरण निम्न प्रकार से हैः–	
		1. सलाहकार (योजना)	37400-6700
		2. संयुक्त निदेशक(योजना)	15600-39100
		3. उपनिदेशक(योजना)	15600-39100
		4. अनुसंधान अधिकारी	15600-39100
		5. सहायक अनुसंधान अधिकारी	10300-34800
		6. सांख्यिकीय सहायक	10300-34800
		7. अनुभाग अधिकारी (एस0ए0एस)	10300-34800
		8. निजि सचिव	10300-34800
		9. निजि सहायक	5910-20200
		10. अधीक्षक–11	10300-34800
		11 वरिष्ठ सहायक	10300-34800
		12. गणक	5910-20200
		13. कनिष्ठ सहायक	10300-34800
		14. लिपिक	10300-34800
		15. कार्यक्रम योजना अधिकारी	10300-34800
		16 गणक संचालक	10300-34800
		17. वरिष्ठ आशुलिपिक	10300-34800
		18. कनिष्ठ आशुलिपिक	5910-20200
		19. आशुटंकक	5910-20200
		20. प्रतिलिपि यन्त्र चालक	4900-10680
		21. चपड़ासी	4900-10680
		22. चौकीदार	4900-10680
		23. सफाई कर्मचारी	4900-10680
		24. फ्राश	4900-10680
(xi)	प्रत्येक एजैन्सी का बजट आबंटन जिसमें सभी योजनओं का विवरण तथा व्यय प्रस्ताव एवं आहरण की रिपेार्ट जो वनती है 1	वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एजैन्सी को त्रैमासिक /किस्तों के आधार पर बजट आबंटन किया जाता है 1 निम्नलिखित योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु बजट जारी किया जाता हैः– 1. विकास में जन सहयोग 2. विकेन्द्रीकृत नियोजन 3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना 4. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना 5. राष्ट्रीय सम विकास योजना 6. हिमाचल प्रदेश में नई रेल लाईनो का निर्माण ।	

		हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-2 पर जारी निर्देशों एवं फारमुला के अनुरूप निधियों का आबंटन येाजना विभाग करता है 1
(xii)	उपदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमें लाभभोगियों का विवरण धनराशि सहित 1	विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जताा है 1
(xiii)	रियायतों के पात्रों का विवरण	लागू नहीं
(xiv)	इलैक्ट्रानिक्स तरीके से सूचना उपलब्धता बारे	विभाग की वैवसाईट वनाई गई है1 तथा विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना इस वैवसाईट http// hpplanning.nic.in. में उपलब्ध हैं 1
(xv)	लोगों/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु लाईब्रेरी या वाचनालय का प्रावधान हो तो उसका विवरण जिसमें समय का विवरण भी हो 1	विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई सूचना विभाग के कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक केवल रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोकर प्राप्त की जा सकती है 1
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियेां के नाम पर एवं विवरण 1	सूचना निम्न प्रकार से है1
(xvii)	ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो 1	शून्य

लोक सूचना अधिकारियों के पद सहित विवरण
योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश. शिमला

सचिवालय स्तर पर

			दूरभाप न0
(क)	जन सूचना अधिकारी	अवर/उप/संयुक्त सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला	2628486
(ख)	अपील प्राधिकारी	प्रधान सचिव/सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला	2621873

अधिसूचना संख्याः योजना-ए(3)4/2005 दिनांक 27-06-2009 सूचना का अधिकार, 2005 (ऐक्ट संख्या 22 आफ 2005) के उप-धारा 5(1) तथा 19 के अर्ज्तगत ।

राज्य स्तर पर

(क)	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	जन सूचना अधिकारी
(ख)	उप-निदेशक निदेशक (योजना)	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ग)	विभागाध्यक्ष	**अपील प्राधिकारी**

जिला स्तर पर

(क)	समस्त जिला येाजना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी

(अधिसूचना संख्याः योजना-ए(3)4/2005 दिनांक 22-12-2005) :

सूचना का अधिकार. अधिनियम-2005 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री प्रभारी मन्त्री, प्रधान सचिव (योजना) प्रशासनिक सचिव तथा सलाहकार (योजना)संगठन के विभागाध्यक्ष सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं ।

Only for Official use

ANNUAL

GENERAL ADMINISTRATION

REPORT

2009-2010

Planning Department,
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171 002

I N D E X

Sr.No.	Subject	Page
1.	Introduction	1
2.	Administration Division	1-2
3.	Plan Formulation Division	3-4
4.	Plan Implementation Division	4-6
5.	Backward Area Sub-Plan Division	6-7
6.	Regional and District Planning Division	7-8
7.	Manpower and Employment Division	9
8.	Project Formulation Division	10-11
9.	NABARD-RIDF	12-14
10.	20 Point Programme	15
11.	Railway	15-16
12.	Evaluation Division	16
13.	Computerisation	16-17
14.	Right to Information Act.-2005	18-23

****

INTRODUCTION:

The State Planning Department has been mandated to formulate Five Year and Annual Plans, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes etc. The other activities consist of Project Formulation & Appraisal, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning and Implementation of Backward Area Sub-Plan.

Organisational Structure

The organisational structure of Planning Department consists of following three tiers :

1. Headquarters.
2. District Offices.
3. State Planning Board.

1. Headquarters

At the Headquarters, Adviser(Planning), H.P. Government is the Head of the Department. Under him various divisions viz. Plan Formulation, Project Formulation, Plan Implementation, Computerisation, Evaluation, Manpower and Employment, Administration, Regional & District Planning and Backward Area Sub-Plan are functioning.

These divisions are headed by Joint Director, Head of Office and the Deputy Directors. According to rule of business, following is structure for the transaction of official business:-

1. Hon'ble Chief Minister
   (Planning Minister)
   |
2. Pr. Secretary (Planning)
   |
3. Adviser (Planning).

2. District Offices

Under the decentralised planning process, field Offices have been opened in all ten non-tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners and have been provided with a staff set-up of one District Planning Officer, one Credit Planning Officer, one Assistant Research Officer, One Statistical Assistant, one Assistant (two in the case of Shimla, Kangra and Mandi), one Steno-typist, one Clerk and a Peon.

I. ADMINISTRATION DIVISION :-

The Joint Director has been declared as the Head of Office. Under him the Divison is headed by a Deputy Director. In this division the following staff has been provided :-

(a) Drawing and Disbursing Officer - 1

(b) Superintendent	- 1
(c) Senior Assistant	- 4
(d) Junior Assistant	- 3
(e) Clerk	- 2
(f) Peon	- 1
(g) Chowkidar	- 1
(h) Frash	- 1
Total	**14**

This division plays routine role to run this organisation. The staff position of this department is given below :-

STAFF POSITION OF THE PLANNING DEPARTMENT

S.No.	Category	Sanctioned Posts	Filled-up	Vacant
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1	Dy. Chairman	1	-	1
2.	Dy. Chairman (20 Point Prog.)	1	-	1
2	Adviser (Plg.)	1	1	-
3	Joint Director	1	1	-
4	Deputy Director	5	5	-
5	Research Officer	20	18	2
6	Programme Plg. Officer	1	1	-
7	Credit Planning Officer	10	10	-
8	Superintendent	1	1	-
9	Senior Assistant	20	20	-
10	Junior Assistant / Clerk	16	15	1
11	Private Secretary	1	-	1
12	Personal Assistant	2	1	1
13	Assistant Research Officer	17	15	2
14	Statistical Assistant	20	15	5
15	Computer	6	6	-
16	Computer Operators	2	2	-
17	Senior Scale Stenos	1	1	-
18	Junior Scale Stenos	6	6	-
19	Stenotypists	12	4	8
20	Driver	3	3	-
21	Peons	20	20	-
22	Chowkidar	1	1	-
23	DMO	1	1	-
24	Jamadar	1	1	-
25	Sweeper	1	1	-
26	Frash	1	1	-
	TOTAL	**172**	**150**	**22**

The Administrative Wing of this department does routine work of recruitment, promotion and confirmation of staff, initiation of disciplinary proceedings against the erring

employees, transfers/postings, accounts, budget and store matters. During the year under report, the Administrative Division of the department accomplished all its assignments within the time frame fixed for the purpose.

II. PLAN FORMULATION DIVISION:

The brief resume of the work done during the year 2009-10 :-

1. Preparation of State's Draft Annual Plan Document for the Year 2010 -11.

- The guidelines for preparation of detailed Annual Plan document for the year 2010-2011 were issued to all concerned departments/agencies requesting them to send detailed Annual Plan proposals.

- On scrutiny of departmental proposals and analysis of data collected from various institutions, a draft annual plan document for the year 2010-2011 was prepared and submitted to the Planning Commission, Govt. of India for meetings of Working Groups as also for the meeting between Hon'ble Deputy Chairman, Planning Commission and Hon'ble Chief Minister, H.P.

- The State Government proposed an Annual Plan size of Rs. 3000 crore for 2010-11 which has been approved by the Planning Commission. Sector –wise break up is given as under:-

(Rs. in Crore)

Sr. No.	**Sector**	**Annual Plan (2010-2011) Outlay**
1.	**2.**	**3.**
1.	Agriculture and Allied Activities	342.84
2.	Rural Development	168.66
3.	Special Area Programme	12.97
4.	Irrigation & Flood Control	310.48
5.	Energy	354.37
6.	Industry and Minerals	27.27
7.	Transport & Communication	588.93
8.	Science, Technology & Environment	20.00
9.	General Economic Services	93.45
10.	Social Services	1010.79
11.	General Services	70.24
	Total :	**3000.00**

The Demand / Major Head/ Sub Major Head/ Minor Head / Sub- Minor Head wise schematic outlays were conveyed to the Finance Department for budgeting the same in the State Budget 2010-2011.

2. State Priority Issues:

Planning Department has been declared as a nodal department for coordination between Centre and the State Govt. for issues which are lying pending for clearance in various Central Ministries in Govt. of India. During the period, issues pertaining to Railways, Power, Roads & Bridges, Tourism, Education and Water Supply etc. were taken- up by the State Govt. from time to time.

3. State Planning Board:

After the change of the Govt., in December, 2007, the State Planning Board was reconstituted by nominating official and non-official members. A meeting of the Board was organized on 27/1/2010 under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister. State Annual Plan size amounting to Rs. 3000.00 crore for the year 2010-11 was discussed and approved in the meeting.

III. PLAN IMPLEMENTATION DIVISION:

After passing of budget from Vidhan Sabha, the implementation of plan budget starts in following ways: -

1. This division examines proposals for diversion and reappropriation thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/reappropriations are permitted.

2. Additionalities are provided from those schemes/Heads, which have the possibility of low intensity of expenditure. A cut is imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which are of utmost importance.

3. This division also arranges meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities to dispose-off cases promptly.

4. During the period under report, proposals on diversions and reappropriations were called from all departments in respect of Earmarked & Non-earmarked Sectors. The proposals were scrutinized and examined, send the revised outlays were got approved from Planning Commission, Govt. of India in time.

5. During the year under report, 189 references from different departments for obtaining advice on their departmental files were received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority. Govt. of India has approved Rs 2700.00 crore for the Annual Plan 2009-10.

6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan has been linked with budget by developing software for this purpose.

1. <u>Review of Quarterly Progress Reports</u>:

This division has been entrusted with the responsibility to monitor the financial and physical progress achieved under different heads of development under Plan.

Following quarter-wise norms have been fixed for incurring of plan expenditure under various head of developments :

Sr.No.	Quarters	Percentage of Expenditure
1.	First Quarter	25%
2.	Second Quarter	30%
3.	Third Quarter	25%
4.	Fourth Quarter	20%
	Total	**100%**

The revised proposal of outlays alongwith scheme of financing, plan expenditure of Annual Plan 2009-10 upto December, 2009 and audited expenditure for the Annual Plan 2008-09 are being supplied to Finance Ministry and Planning Commission, Govt. of India to enable State Government in getting withheld Central Assistance released.

2. Quarterly Budget Authorisation:-

A new system of Quarterly Budget Authorization has been started from the year 1999-2000. Accordingly, quarterly budget authorization for the year 2009-10 was given to all departments and quarterly progress reports on financial spending were collected from the departments for review.

3. Budget Assurances:

This Division also convenes the monthly review meetings to monitor the progress of Implementation of Budget Assurances given during the Budget Speech. The information from nodal departments was collected, compiled and progress of implementation of Budget Assurances for the year 2009-10 was reviewed during the meetings held under the Chairpersonship of Chief Secretary periodically and necessary instructions given to the implementing departments.

4. Centrally Sponsored Schemes:

Centrally Sponsored Schemes have a very important place in the economy of the State as these schemes supplement the State's resources. At present various Centrally Sponsored Schemes either 100% or shared in some ratio between Centre and State are in progress.

This Division has performed the following functions under CSS during the year 2009-10:-

i) Advices regarding financial implications of CSS and their counterpart provision in plan were given to the implementing departments.
ii) Liaison between Govt. of India and various H.P. Govt. departments was maintained.

IV. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP):-

State Government has evolved a concept of Backward Area Sub Plan for identifying and mitigation of micro-regional disparities in the level of development. During the year 1995-96, H.P. Government, in consonance with the budget speech of Hon'ble Chief Minister, framed a comprehensive policy for backward areas which is under implementation since then in H.P. The salient features of the policy are as under:-

(a) The Backward Area Sub Plan comprises of three categories:-
(**i) Backward Blocks**: All blocks having 50% or more than 50% declared Backward Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Eight Backward Blocks in the State having 304 Backward Panchayats.

(ii) Contiguous Pockets: Group of five or more declared backward Panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 133 backward Panchayats in the State.

(iii) Dispersed Panchayats: Other Panchayats which do not fall in the above mentioned categories (I) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 114 Dispersed Panchayats in the State.

(b) 15% outlays of the selected thirteen heads of development are earmarked for BASP.

(c) Both, beneficiaries and infrastructure development oriented approaches have been adopted.

(d) The allocation to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.

(e) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions/ re-appropriation with the approval of DPDC. Dy. Commissioners and District Planning Officers have been declared controlling and Drawing & Disbursing Officers respectively.

There are total 551 Panchayats declared as backward in the State. The single Demand No-15 "Planning and Backward Area Sub Plan" has also been created by the State Government for separate budgetary arrangements under BASP. BASP enjoys sufficient degree of flexibility as District level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities with in the district. An outlay of Rs. 5700.00 lakh has been earmarked under BASP for the year 2009-10 under Plan and Rs. 3734.32 lakh under Non-Plan.

The District wise details of Backward Area Sub Plan 2009-10 outlays and numbers of Backward declared Panchayats are as under:-

(Rs. In "Lakh")

Si. No.	District	**No of Backward declared Panchayats**	**BASP 2009-10 OUTLAYS**		
			Plan	**Non-Plan**	**Total**
1	2	3	4	5	6
1	Bilaspur	15	155.17	101.66	256.83
2	Chamba	159	1644.83	1077.60	2722.43
3	Hamirpur	13	134.48	88.11	222.59
4	Kangra	17	175.86	115.21	291.07
5	Kullu	79	817.24	535.41	1352.65
6	Mandi	149	1541.38	1009.83	2551.21
7	Shimla	83	858.62	562.52	1421.14
8	Sirmour	26	268.97	176.21	445.18
9	Solan	7	72.42	47.44	119.86
10	Una	3	31.03	20.33	51.36
	TOTAL	551	**5700.00**	**3734.32**	**9434.32**

Entire work related to BASP such as budget allocation, monitoring/ review of sub plan and work related to AG/ CAG, Vidhan Sabha, etc. were done by the Backward Area Sub Plan Division during the year -2009-10.

V. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION :

For the implementation and monitoring of various Decentralised Planning Programmes, Regional and District Planning Division has been set up at the State level office of Planning Department. Description of the various activities of Decentralised Planning Programmes are given as under:-

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS) :

To ensure effective people's participation towards fulfilling their developmental needs in terms of infrastructure at the grass root level as well as to supplement Govt. efforts / resources, the programme-Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced for implementation in the year 1991-92 . Under this programme, people's participation is purely on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited into Bank / Post Office accounts opened in the name of concerned Deputy Commissioner. The schemes with an estimated cost of Rs. 10.00 lakh and below are sanctioned by the DCs and schemes estimating upto Rs. 20.00 lakh are sanctioned at the Directorate of Planning, upto Rs. 40.00 lakh by the Secretary (Planning) and above Rs. 40.00 lakh are sanctioned by Finance Department. In the current financial year 2009-10 an amount of Rs. 1400.00 lakh was allocated to the DCs (Except Kinnaur and Lahaul & Sipiti districts) for the works to be sanctioned at their level.

2. Sectoral Decentralised Planning (SDP) :

Sectoral Decentralised Planning Programme has been started in the Pradesh during the year 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds is made by

the Planning Department on the basis of 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to area of the district as per 1981 Census. Under this programme, schemes of local needs and important missing links of budget are mainly taken up for implementation. An amount of Rs. 3695.88 lakh was allocated to the Deputy Commissioners (Except Kinnaur & Lahaul Spiti) for issuing sanctions at their level during the year 2009-2010. The additional funds amounting to Rs. 3.00 lakh under this programme was provided by way of reappropriation from VMJS programme.

3. Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) :

Towards strengthening of decentralisation process, the State Government has started a new scheme **"Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana"** fom the year 1999-2000 but it was discontinued during the year 2001-2002. This scheme has been restarted during the year 2003-04 and funds of the order of Rs. 24 lakh were allocated to each MLA for the execution of developmental works in their constituencies. The implementation and monitoring of the scheme has been made more effective and intensive with the direct involvement of Hon'ble MLAs. The scheme has ensured balanced development of all areas in the state irrespective of political affiliation and all elected MLAs are also getting equal treatment. During the current financial year 2009-2010, Rs. 1956.12 lakh has been provided by this department to the Non-Tribal districts at the rate of Rs. 30.00 lakh per Vidhan Sabha Constituency for execution of developmental works.Out of Rs. 30.00 lakh, Rs. 5.00 lakh will be spent on the works under norms of Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY) with the recommendation of Hon'ble MLA's .

4.Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY)

In order to provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca besides having a provision for the construction of small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas. The State Govt. has permitted construction of jeepable/tractorable link roads upto 2km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. During the year 2004-05, this schemes was discontinued and has been restrated during the financial year 2008-09 with a budget provision of Rs. 1000.00 lakh. During the current financial year 2009-10 Rs. 1000.00 lakh has been provided to Deputy Commissioners of 10 Non-Tribal Districts.

4.Member Of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS):

Member of Parliament are approached by their constituents, quite often, for small works of capital nature to be done in their constituencies. Hence, there was a demand made by MPs that they should be able to recommend works to be done in their constituencies. Considering these suggestions, the Prime Minister announced in Parliament on 23rd December,1993, the "Member of Parliament Local Area Development Scheme".

Under this Central Sector scheme, each MP will suggest works to the tune of Rs. 1.00 crore per year, from the financial year 1994-95 to be taken up in his/ her constituency. Elected Member of Rajya Sabha representing the whole of the State as they do, may select works for implementation in one or more District (s) as they may choose. Nominated Members of the Lok Sabha and Rajya Sabha may also select works for implementation in one or more Districts, anywhere in the country. The allocation per MP per year stands increased to Rs. 2 crore from the year 1998-1999.

VI. MANPOWER AND EMPLOYMENT DIVISION :-

जीम विससवूपदह उंपद जौ ीअम इममद ेपहदमक जव डंदचवूमत ंदक म्उचसवलउमदज क्पअपेपवदरू

1. Fact Book On Manpower

In this publication, data with statistical tables regarding population, manpower, employment, unemployment, training institutions directly related to the training and employment is compiled. The collection and compilation of the data on "Fact Book On Manpower" for the year 2000-2001 to 2007-2008 has been accomplished and the data for the year 2008-09 is being compiled. The work relating to this publication is of continuous nature requiring periodical follow-up and revision.

This Fact Book has three parts . Part one contains detailed information about the characteristics of population and its projected annual growth and the composition of workforce in the State. Part two contains statistics relating to employment pattern in public and private sectors. It also gives an account of distribution and number of applicants on Live Registers of employment exchanges and educational status of job-seekers, Part three gives information on education and training facilities in the State viz. number of institutions, teachers, enrolment, intake and outturn etc. in the State.

2. Reports On The Basis Of Data Available Under EMI Programme

जीम ुनंतजमतसल तमअपमू तमचवतजे वि मउचसवलउमदज हमदमतंजपवद पद जीम वतहंदपेमक ेमबजवत वि जीम मबवदवउल नदकमत ७ म्उचसवलउमदज डंतामज प्दवितउंजपवद च्तवहतंउउम ८ए ीं ेजंतजमक कनतपदह जीम लमंत 1988ण जीम ुनंतजमतसल तमचवतज वित जीम लमंत 2007.08 ी इममद चनइसपेीमकण जीम कंजं वित जीम लमंत 2008.09 पे इमपदह बवउचपसमकण

3. State Government Employment Plan

Implementation, Monitoring and Review policy of the State Government for Employment Plan

There is a State Employment Plan as by-product of the budget document. The Planning Department collects the information on employment generation from the concerned departments on a monthly basis. The State Government has adopted a three pronged strategy under employment Plan which has been divided into three sectors viz; Government Sector Employment Plan, Organised and Self Employment Sector Plan and Wage Employment Sector Plan. The progress of employment generation in terms of (financial and physical) is being reviewed regularly on monthly basis. The departments have been requested to ensure the achievements against the targets.

4. Skill Development

The work relating to skill development is coordinated by Planning Department. For Mapping the existing skill levels Of the Employable Youth and the skill gap in Himachal Pradesh, a study was awarded to Ms/ICRA Management Consulting Services by HPIDB . The agency has submitted the final report on which a presentation by ICRA was arranged to deliberate on the results of the study. A compendium on the State Skill Development has been prepared and State Action Plan on Skill Development is being prepared. The State Skill Development Mission has been constituted on the lines of National Skill Development Mission under the Chairpersonship of Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh and the meetings are being held on regular intervals.

VII. PROJECT FORMULATION DIVISION :

Project Formulation Division in the Planning Department has been assigned the task of project formulation and project appraisal. The subject requires a multi-disciplinary and rational approach. The project formulation division analyses the project proposals of different departments and NGO's submitted for seeking funding from external agencies like World Bank, JBIC, JICA, GTZ & KFW. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors the physical and financial progress of all the EAP's being implemented in the State and also keeps track of over all Additional Central Assistance being received in respect of EAPs being implemented in the State. This division serves as single window for the different donors for identification, appraisal and feed back in the EAPs in the State required by the donors.

For this purpose, following steps were undertaken during the year 2009-10 by this division:-

(1) Review and monitoring of financial and physical progress of EAPs on quarterly basis.
(2) Review & Monitoring of Additional Central Assistance due and received in respect of all external aided projects in relation to the expenditure claims filed and releases made by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance , Government of India and was updated.
(3) Advises were given to the different departments in the context of project proposals for integration of activities, avoiding overlapping in terms of activities and bringing in administrative expediency in terms of project execution.

The other important assignments undertaken during the period under report by this division are as under:-

The division had been in constant touch with the following external funding agencies for tieing-up the new projects:-

i) Japan Bank for International Co-operation (JBIC)/ Japan International Co-operation Agency (JICA).
ii) GTZ & KFW
iii) World Bank.
iv) French Agency for Development
v) Asian Development Bank

The Guidelines received from these institutions were circulated to the concerned departments to formulate the project proposals. Project proposals received from the departments were analyzed / appraised in this division keeping in view the Technical, Administrative, Managerial, Financial, Social & Economic parameters. After analysis, these project proposals were returned to the concerned departments with the observations of Planning Department for alterations and modifications for posing these projects to the funding agencies through the Central line Ministries of the departments and Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

The details of on going and in pipeline EAPs in Himachal Pradesh are given at Annexure-'**A**' and '**B**' respectively.

ANNEXURE-"B"

EXTERNALLY AIDED PROJECTS IN PIPELINE:

(Rs. In Crore)

Sr. No.	Name of Project	Name of Department	Name of Donor Agency	Total Estimated cost
1	2	3	4	5
1	Tourism Road Map for Infrastructure Development	Tourism & Civil Aviation	ADB	300.00
2	Bio-Carbon Project	Forest	World Bank	72.50
3	Natural Resource Management for Sustainable Livelihoods in Himalayas.	Agriculture	Not Decided	120.00
4	Diversified Agriculture for Enhanced Farm Income in Himachal Pradesh	Agriculture	JICA	23.16
5	Technical Education Quality Improvement Programme	Technical Education	World Bank	100.00
6	Gravity Water Supply Scheme for Shimla from Pabbar River	IPH	World Bank	715.00

The details of on-going EAPs in Himachal Pradesh is given at Annexure-'A'.

ANNEXURE-A

PROJECT–WISE DETAILS OF ON–GOING EXTERNALLY AIDED PROJECTS IN HIMACHAL PRADESH(Rs.In Crore)

Sr. No	Name of the Project	Total Cost		Starting Date	Concld. Date	Sharing Pattern		Cumulative Exp. upto 31.3.2009	Cumulative Reimbursement Received upto 31.3.2009	Outlay for 2009-10	Expenditure incurred during 2009-10 upto 31.12.2009	Reimbursement during 2009-10 (up to 31.12.09)		Proposed Outlay for Annual Plan 2010-11
		Original	Revised			%age External aid	%age State Share					Filed	Received	
1.	WB Aided HP State Road Project	1365.43	1365.43	7/2007	12/2012	72.50	27.50	107.56	43.64	100.00	99.58	40.53	32.86	115.00
2.	HP Mid Himalyan Watershed Development Project	365.00	365.00	10/2005	3/2013	80	20	140.24	112.19	50.00	23.34	18.67	18.08	60.00
3.	Swan River Integrated Watershed Management Project	160.00	160.00	31/3/06	3/2014	85	15	23.30	20.89	20.00	16.61	15.33	13.73	30.00
4.	Hydrology Project-II (WB)	49.50	49.50	4/2006	6/2012	90%	10%	9.81	5.57	8.00	3.00	3.91	2.72	13.50
	TOTAL:	**1939.93**	**1939.93**					**280.91**	**182.29**	**178.00**	**142.53**	**78.44**	**67.39**	**218.50**
POWER PROJECTS:														
1	Sawara Kuddu HEP (111MW)	728.00	1182.00	10.02.09	12/2012	**53:17**	**30**	198.94	-	**290.50**	53.50	41.42	41.42	**190.50**
2	Integrated Kashang (Stage-I) HEP (65 MW) (Stage- II & III) HEP (130 MW)	1939.00	1939.00	3.3.09	1/ 2013 Stage-I & 12/ 2013 Stage II & III			140.08	-		19.63	17.52	17.52	
3	Sainj HEP (100 MW)	765.00	785.00	-	4/2014			25.98	-		23.21	0	0	
4	Shongtong Karcham HEP (402 MW)	2750.00	2750.00	-	3/2015			12.49	-		2.98	0	0	
5	Capacity Development	45.00	45.00	-	-	100		-	-		1.50	1.16	0.62	
	Total –Power Projects (1-5)	**6227.00**	**6701.00**					**377.49**		**290.50**	**100.82**	**60.10**	**59.56**	**190.50**
	Grand Total	**8166.93**	**8640.93**					**658.40**	**182.29**	**468.50**	**243.35**	**138. 54**	**126.95**	**408.50**

Capacity Building is 100% externally aided.

In addition to the provision of Rs. 190.00 crore State Government proposes to provide Rs. 100.00 crore as equity participation for financial year 2010 -11

VIII. NABARD-RIDF :-

Rural Infrastructure Development Fund under NABARD sponsored programmes for extending loan assistance to the State Governments for the completion of ongoing projects/ Really New Schemes in the areas of Medium and Minor Irrigation, Soil Conservation and other Rural Infrastructure Development Projects like Rural Roads and Market Yards has been implemented in the State since **RIDF-I (1995-96).** This programme was continued as **RIDF-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV & XV** in the successive Annual Budgets. Under RIDF-I, NABARD had provided loan assistance **upto 50%** of the balance cost of ongoing projects which was later on extended **upto 90% / 95%** under successive RIDF tranches.

The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Govt. has either got projects approved or has posed projects to the NABARD for funding are :-

i. Construction of Roads and Bridges.
ii. Construction of Irrigation schemes.
iii. Construction of Flood Protection Works.
iv. Construction of Primary School Buildings (Under S.B.V.S.Y.).
v. Construction of Drinking Water Supply Schemes.
vi. Establishment of Citizen Information Centres.
vii. E-Governance.
viii. Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.
ix. Watershed Development Project.
x. Strengthening of Animal Health Infrastructure.
xi. Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).
xii. Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.
xiii. C/o Bus Stands in Rural Areas.

Upto 16th February, 2010 the NABARD has sanctioned a loan assistance of Rs. 2691.19 crore in favour of Himachal Pradesh, the tranche-wise break-up is given as under :-

(Rs.in crore)

Sr. No	**Description of Programme**	**Duration**	**No. of Sch. sanctioned**	**NABARD Loan Sanctioned**	**State Contri-bution**	**Total Amount Sanctioned**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	RIDF-I	1995-96 To 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
2	RIDF-II	1996-97 To 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
3	RIDF-III	1997-98 To 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
4	RIDF-IV	1998-99 To 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
5	RIDF-V	1999-2000 To 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
6	RIDF-VI	2000-01 To 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
7	RIDF-VII	2001-02 To 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
8	RIDF-VIII	2002-03 To 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
9	RIDF-IX	2003-04 To 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
10	RIDF-X	2004-05 To 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
11	RIDF-XI	2005-06 To 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
12	RIDF-XII	2006-07 To 2008-09	382	273.48	36.42	309.90
13	RIDF-XIII	2007-08 To 2010-11	369	299.26	34.99	334.25
14	RIDF-XIV	2008-09 To 2011-12	137	425.12	28.15	453.27
15	RIDF-XV	2009-10 TO 2012-13 (UPTO 16.02.2010)	223	454.11	37.00	491.11
		GRAND TOTAL (I TO XV)	**4237**	**2691.19**	**255.07**	**2946.26**

Against the above sanctioned NABARD loan the State Govt. has received/availed an amount of Rs. 1654.97 crore upto 16.02.2010 from the NABARD. The tranche-wise details are as under :-

(Rs. in Crore)

Name of the Programme	**NABARD's Sanctioned**	**Tranches-wise Loans availed**			**Percentage of Loan availed**
		1995-96 to 2008-09	**2009-10 (upto 16-02-10)**	**Total**	
RIDF-I	14.23	14.23	0.00	14.23	100.00
RIDF-II	52.96	52.84	0.00	52.84	99.77
RIDF-II	51.12	49.43	0.00	49.43	96.69
RIDF-IV	87.81	79.14	0.00	79.14	90.13
RIDF-V	110.36	108.09	0.00	108.09	97.94
RIDF-VI	127.20	127.88	0.00	127.88	100.53*
RIDF-VII	168.24	174.79	0.00	174.79	103.89*
RIDF-VIII	169.29	154.00	0.00	154.00	90.97
RIDF-IX	141.70	110.69	0.89	111.58	78.74
RIDF-X	91.64	71.98	5.19	77.17	84.21
RIDF-XI	224.67	151.49	25.36	176.85	78.72
RIDF-XII	273.48	116.70	49.10	165.80	60.63
RIDF-XIII	299.26	90.54	24.01	114.55	38.28
RIDF-XIV	425.12	113.15	44.15	157.30	37.00
RIDF-XV (upto 16.02.10)	454.11	0.00	91.32	91.32	20.11
Total :-	**2691.19**	**1414.95**	**240.02**	**1654.97**	**61.50**

* The disbursement figure exceeded from sanction due to the fact that advance earlier paid/released was not adjusted in future drawls.

The Planning Department has been made the Nodal Department for selection, approval and monitoring of the projects sanctioned under the programme.

IX. 20-POINT PROGRAMME:-

NEW 20- POINT PROGRAMME-2006

1. Planning Department has been declared as a nodal department for coordination, review, monitoring and reporting of progress repots of Twenty Point Programme (TPP) from the year 2007. During the year 2008-09, the State was adjudged third among other States in the implementation of 20-Point Programme. During the year 2009-10, the State was ranked 1st among other States for performance under Twenty Point Programme upto November ,2009.

2. In order to inculcate competition among districts, the State Govt. decided to introduce inter district ranking analysis under Twenty Point Programme. According to inter district analysis for the period April 2008 to March 2009, Hamirpur and Kangra were adjudged top ranking districts, where as district Una was ranked 3rd among other districts. Similarly district analysis for the period April 2009 to September 2009 was also done. According to this analysis, Mandi, Solan and Una were adjudged top ranking districts.

3. Due to rigorous monitoring by planning department, the performance under Twenty Point Programme in this State has been excellent. A review meeting was also held on 12th November 2009 under the chairpersonship of Chief Secretary to the Govt. of H.P. In this meeting, directions were issued to all concerned Administrative Secretaries and Heads of Departments to bring implementation of this programme to **'Very Good'** position, so that State continues to retain top most place in inter State ranking monthly analysis.

4. The comprehensive guideline on Twenty Point Programme -2006 have been issued and hoisted on the website (www.hpplanning.nic.in.) of State Planning Department. All the reporting items have been identified for all the departments in respect of monthly monitor-able items and these have been put on the Planning Department's website.

X. RAILWAY DIVISION :-

The Railway Division of Planning Department has initiated following actions during the year 2009-10 for the expansion of rail network in Himachal Pradesh:-

1. On the request of State Government, Ministry of Railways has asked the State Government to acquire land in the area of first 20 Kms of Bhanupalli- Bilaspur- Beri BG rail line. Since this section originates from Bhanupalli (Punjab), the matter of land acquisition in the area falling under Punjab territory was taken up with the Hon'ble Chief Minister, Punjab as a result of this, the notification u/s 4 of Land Acquisition Act, 1894 stand issued in respect of all the 24 villages falling in the first 20 kms of this rail line (14 villages fall in Punjab and 10 villages fall in Himachal Pradesh).

2. The notifications for 10 villages u/s 4 of Land Acquisition Act, 1894 for land acquisition in Amb-Andaura to Daultpur of Nangal- Talwara BG rail line have been issued and out of these villages, notifications of 8 villages u/s 6&7 also stand issued. The land acquisition notifications for the remaining villages will be issued after completion of field work and other codal formalities. Besides this, Ministry of Railways had also been requested for the completion of this rail line by December, 2013.

3. Keeping in view the strategic importance of rail line for ferrying of defence equipments to the border areas and boosting of region's economy, State Government has been pursuing a proposal with the Ministry of Railways and Ministry of Defence for the extension of Bhanupalli- Bilaspur- Beri BG rail line upto Leh- Ladakh. Due to the continuous pursuasion of the State Government, Ministry of Railways has included this proposal in the socially desirable rail connectivity projects in the Railway Budget -2010-11.

4. On the request of State Government, the detail project report on Ghanaulli- Baddi rail line was prepared by the Railways. Alternatively, the matter for linking of Baddi from Kalka has been taken up with the Railways to serve the larger area of the State.

XI. EVALUATION DIVISION :-

Evaluation division of Planning Department is doing the evaluation work of different plan schemes and projects. The objectives of the evaluation is to suggest remedial measures for the effective implementation of projects/ schemes. A Technical Advisory Committee has been constituted at State level to consider evaluation proposals of different implementing agencies. During the year 2009-10, the study of Community Fish Ponds Programme, has been completed. The study on Survey of Registrants of Regional Employment Exchange, Shimla is nearly complete. The field work in respect of following evaluation studies is in process:-

i) Sectoral Decentralization Planning (5%).

ii) Watershed Development Prograqmme.

Field work in respect of these studies is being carried out by District Planning Cells. Due to shortage of staff at State Headquarters and the engagement of District Planning Cells staff for other activities / assignments, the survey work could not be accomplished during the prescribed period. However, instructions have been issued to concerned Deputy Commissioners to expedite the field work so that studies are finished at the earliest.

XII. MLAs DIVISION

This division is concerned with the monitoring of MLAs priority schemes. During the year 2009-10, MLAs meetings were convened on 14th and 15th January 2010 under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister R.P. to finalize the priority of Hon'ble MLAs under Roads and bridges, Drinking Water and Minor Irrigation heads of developments for incorporation in the plan budget for the year 2010-11. In these meetings, follow up action report on the decisions taken in the previous year meetings, which were held on 15th and 16th January 2009 was also circulated and various issues were discussed. Apart from this, Hon'ble MLAs also highlighted issues pertaining to their constituencies and gave valuable suggestions on economy measures, generation of financial resources, efficient administration etc.

XIII. COMPUTERISATION DIVISION :

Computerisation Division has been constituted for feeding the computer needs of Planning Department. All the reports / publications undertaken by the Planning Department are processed on computer and lateron get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software of the department has developed the following softwares for different Divisions of Planning Department :-

1. Software on GN Statements for Annual Plan (2010-11) and Annual Plan (2011-12).
2. Annual Plan (2011-12) Package and Document.
3. Package on Payroll/ADA/Pay Scale Arrear of Department.
4. RIDF/NABARD and MLA Division Software.
5. Backward Area Sub-Plan, Distt./SOE-wise allocation of budget outlays package.
6. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/Schemes.
7. Income Tax Statements Software.
8. Computerisation of Hon'ble MLAs Priority Schemes for the year (2010-2011).
9. Internet Surfing for funding of EAPs.
10. Fact Book on Manpower Publications.
11. Quick Estimates 200-11 document.
12. Twenty Point Programme Quarterly Document.
13. Development of Department Web site and site maintenance/updation.

XIII. Annual updation of publication in terms of Section 4(1)(b) of the Right to Information Act.2005.

(i)	Particulars of organization, functions and duties.	Please see Sr. No.1 "Background and introduction"
(ii)	Powers and duties of its Officers and Employees.	**Adviser (Planning)** Overall administrative and financial control of the Department. **Joint Director(Planning):** He assists the Adviser (Planning) in the implementation and monitoring of all State projects being extended through External Assistance. Besides, he over sees the work of Backward Area Sub Plan and RIDF etc. **Deputy Directors**: All the Deputy Directors control various Divisions such as Plan Formulation, Plan Implementation, Project Formulation, NORAD, Evaluation, Employment, Computerization, Administration, Regional and District Planning and Backward Area Sub-Plan and assist the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals. **Research Officers:** All the Research Officers assist the Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Deputy Directors through Research Officers. **Assistant Research Officers**: Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level. **Statistical Assistants** Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level. **Computer:** Posted in different divisions perform their duties and functions as assigned to them by the Research Officers. **Program Planning Officer (PPO) :** The PPO is the incharge of the Computer Cell. This cell has been constituted for feeding the computer needs of Planning Department. **Computer operators :** Assist the PPO for feeding data of various divisions in the computers. **Superintendent Gr-II** Superintendent Grade-II is working in the Department, supervises the work of Administration Division. All the Dealing Assistants of Administration Division submit the files through Superintendent Grade-II to DDO/Deputy Director (Administration) for final Decision at the level of Head of Office and Head of Department. **Senior Assistants/Junior Assistants:** Deal with and

		submit cases related to establishment matters to Superintendent Grade-II for final decision at the level of higher authorities. **Clerks :** Posted in the Administration Division perform duties and function as assigned to them by the Supdt. Gr-II including the Diary dispatch work of the Department. **Personal Assistant/Sr.Scale Steno Graphers /Jr.Scale Steno Grapher:** Perform duties with Head of Department, Joint Directors/Deputy Directors ,such as Dictation/ Typing work/attend to the telephone calls. Handle the files/records of confidential or secret nature. **Steno Typists** Perform duties of typing work with District Planning Officers in Districts and at head quarters in various divisions. **Duplicating Machine Operator** To operate the Gestetner/Photostat machines of the Deptt. **Peons** They perform the duties as per duty list mentioned in office manual. **Chowkidar :** Keep watch and ward after office hours of all the office rooms of the Deptt. **Sweeper.** Normal routine duties.
(iii)	Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability	At the Headquarters,Adviser (Planning) exercises the powers of Head of Department. The various officers of the Department assist him in taking decisions/disposing of the normal work of the department. The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the concerned officers heading different divisions for final decision.
(iv)`	Norms set by it for the discharge of its function	Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules/ policies and as per delegation of powers made by the Govt. from time to time.
(v)	Rules, Regulations, instruction manuals and records held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.	The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under:- 1. CCS Leave rules, 1972 2. CCS and CCA Rules 3. HPFR Rules 4. H.P.FR&SR rules 5. Medical attendance Rules 6. House Building Advance rules 7. L.T.C. Rules 8. Budget manual 9. Office manual 10. Pension rules 11. GPF Rules. **Guidelines for implementation of the following**:- 12. Sectoral Decentralized Planning 13. Vikas Mein Jan Sahyog Program 14. Vidhayak Ksehetra Vikas Nidhi Yojna 15. Mukhya Mantri Gram Path Yojna

		16. Members of Parliament Local Area Development Scheme. 17. Back Area Sub Plan. 18. Border Area Development Programme 19. Rural Infrastructure Development Fund.
(vi)	Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control.	Five year Plans/Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid Term Review of Five Year Plans. MLA Priorities Schemes & Annual Administration Report.
(vii)	the particulars any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.	H.P.State Planning Board has been constituted in the Department and public representatives for this Board are nominated by the Govt. Annual Plan/Five Year Plan size is approved and the progress made in implementation of various plans is reviewed by the H.P.State Planning Board meeting.
(viii)	a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.	The following Boards/committees have been constituted in the department:- 1. Himachal Pradesh State Planning Board 2. State Level Planning, Development & Twenty Point Program Review Committee and Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees, the matter is under the consideration of Government 3. District Level Planning Development & Twenty Point Program Review Committees (DPDCs) in all Districts is under consideration with Chief Minister Office.. 4. Meetings of these committees/Boards are not open for attending by public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.
(ix)	a directory of its officers and employees;	5. Adviser (Planning) 6. Joint Director 7. Deputy Directors 4 Research Officers 8. Assistant Research Officers 5 Statistical Assistants 6 Computers 7 Program Planning Officer 8 Computer operators 9 Superintendent 10 Sr.Assistants 11 Junior Assistants 12 Clerks 13 Personal Assistant 14 Private Secretary 15 Senior Scale Stenographer 16 Steno Typists 17 Duplicating Machine Operator 18 Peons

		19 Chowkidar 20 Sweeper 21 Frash
(x)	the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	The Officers and the employees appointed in the Department get the normal scales as granted by the Government from time to time. Pay scales of all the posts are as under: **Sr.No. Name of the Post — Pay scale** 1. Adviser(Planning) 37400-67000 2. Joint Director 15600-39100 3. Deputy Director 15600-39100 4. Research Officer 15600-39100 5. Asstt. Research Officer 10300-34800 6. Statistical Assistant 10300-34800 7. Credit Planning Officer 10300-34800 8. Private Secretary 10300-34800 9. P.A. 10300-34800 10. Computer 5910-20200 11. Supdt. 10300-34800 12. Sr.Assistants 10300-34800 13. Junior Assistant 5910-20200 14. Clerks 5910-20200 15. P.P.O. 10300-34800 16. Computer Operator 10300-34800 17. Sr.Scale Stenographer 10300-34800 18. Jr.Scale Stenogrpher 5910-20200 19. Steno Typist 5910-20200 20. Duplicating Machine Operator 4900-10680 21. Peons 4900-10680 22. Chowkidar One Post. 4900-10680 23. Sweeper One post. 4900-10680 24. Frash 4900-10680
(xi)	the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	As per the instructions of the Finance Department Plan budget is allocated to each agency on quarterly basis or as per actual requirement basis. The budget of Decentralised Planning Programmes and Backward Area Sub-Plan(BASP) is released to DCs/Departments for the implementation of following :- 1 Vikas Mein Jan Sehyog (VMJS) 2 Sectoral Decentralized Planning (SDP) 3. Vidhayak Kasheter Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) 4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY) 5. Backward Area Sub-Plan(BASP) 6. Construction of New Rail Lines in H.P. The Planning Department allocate funds for these development schemes according to the guidelines as well as formula based and as far instructions framed by the H.P. State Government from time to time.

(xii)	the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	There are no subsidy programmes being executed directly by the department.
(xiii)	particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it,	Not applicable
(xiv)	details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	The Department has developed its own Website and the information relating to the various activities of the Department is available on the website **http://hpplanning.nic.in**
(xv)	the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.	The Public can have information from the field offices of this Department or the Headquarters Planning Department Yojna Bhawan H.P. Sectt Shimla-2 from 10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except on holidays.
(xvi)	the names, designations and other particulars of the Public information Officers;	Information on Proforma as below.
(xvii)	Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year.	Nil

Particulars of the Public Information Officers of Planning Department H.P., Shimla.

AT SECRETARIAT LEVEL

Sl. No	Designation	Complete Office Address	Office Tel. No.	Jurisdiction/Unit under his control for which he will render information to applicants
(a)	**Public Information Officer (Under Dy./Joint Secretary(Plg.) to the Govt. H.P.**	**Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2**	**2628486**	**Planning Department / E&S at Secretariat level.**
(b)	**Appellate Authority Secretary (Planning) to the Govt. H.P.**	**Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2**	**2621873**	**Planning Department / E&S at Secretariat level.**

Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 27-06-2009 under section 5(1) and 19 of "Right to Information, Act 2005" (Act No. 22 of 2005).

STATE LEVEL

(a)	Joint Director (Administration)	Public Information Officer.
(b)	Deputy Director (Planning)	Assistant Public Information Officer
(c)	Head of Department	Appellate Authority

DISTRICT LEVEL

(a)	District Planning Officer(s)	Public Information Officer.

Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 for implementation of "Right to Information, Act 2005".

The Chief Minister is the Minister-in-Charge and the Pr. Secretary (Planning) is Administration Secretary & the Adviser(Planning) is the Head of the Organisation set up at Govt. level.

*****